



आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

Tel: +91-0294-2481466

email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे जस्टा सत्त्वा रिसॉर्ट, सविना पुलिस स्टेशन के सामने, सविना, सेक्टर - 9, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान - 313002 पर निम्न कार्यों के लिये होगी :-

1. **31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“दिनांक 31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से संचय एवं अधिशेष में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 830598 समता अंशों पर रु. 58,14,186/- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. **श्रीमती कन्या (डी.आई.एन.: 08480274), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक श्रीमती कन्या (डी.आई.एन.: 08480274), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति हो रही हैं और निदेशक के रूप में दुसरा कार्यकाल पूर्ण करने से, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति का अनुमोदन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप यह पद रिक्त रहेगा।”

4. **सुश्री भावना कुमारी (डी.आई.एन.: 10294947), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक सुश्री भावना कुमारी (डी.आई.एन.: 10294947), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति का अनुमोदन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप यह पद रिक्त रहेगा।”

5. **सुश्री रंजना कुंवर राठौड (डी.आई.एन.: 10294970), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक रंजना कुंवर राठौड़ (डी.आई.एन.: 10294970), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति का अनुमोदन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप यह पद रिक्त रहेगा।”

6. कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मेसर्स एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045) को, इस 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

7. 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

8. नामांकन समिति के गठन की आवश्यकता से छूट पर विचार एवं उसका पुष्टिकरण तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378U तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पढ़े जाने तथा कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिनके अंतर्गत बोर्ड में रिक्त पदों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर भरने हेतु पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन का प्रावधान किया गया था और कंपनी के प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए, सदस्य एतद्वारा प्रस्तावित विलय की अवधि के दौरान नामांकन समिति के गठन की आवश्यकता से दी गई छूट का पुष्टिकरण एवं अनुमोदन करते हैं।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान नामांकन समिति के गठन की आवश्यकता तथा ऐसी समिति के माध्यम से बोर्ड में रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदनों की जांच करने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी तथा प्रस्तावित विलय और उसके परिणामस्वरूप बोर्ड की संरचना में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत अनुमोदित छूट प्रस्तावित विलय के पूर्ण होने तक अथवा बोर्ड या सदस्य, जैसा भी लागू हो, द्वारा निर्धारित किसी पूर्ववर्ती तिथि तक प्रभावी रहेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कंपनी के मुख्य कार्यकारी को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है कि वे इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे जाने वाले सभी कार्य करें, सभी दस्तावेजों, फाइलिंग, घोषणाओं एवं लेखों पर हस्ताक्षर करें तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियां करें, जो इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।”

9. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है—

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3(iii) में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.3 iii. कोई भी सदस्य, जो सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्यता से हटाए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा एक लिखित नोटिस दिया जाएगा तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नोटिस का जवाब देना होगा। तत्पश्चात, निदेशक मंडल इस मामले में

निर्णय लेगा। यद्यपि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों से छूट प्रदान कर सकता है।

ऐसे कोई नोटिस या दस्तावेज किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करके अथवा साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के समक्ष सदस्य की पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस उस अवधि की समाप्ति पर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जो सामान्य परिस्थितियों में उसकी सुपुर्दगी के लिए अपेक्षित होती है।

कंपनी के अभिलेखों में पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस, भेजने की तिथि को प्राप्त हुआ माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को उसकी डिलीवरी में विफलता, गैर-डिलीवरी अथवा बाउंस-बैक संबंधी कोई सूचना प्राप्त न हुई हो।

(2) कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) सम्मिलित किया जाएगा:

4.4(i) कोई सदस्य निदेशक मंडल में किसी विशेष श्रेणी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक/निदेशकों के निर्वाचन अथवा नियुक्ति में मतदान करने के लिए तभी पात्र होगा, जब ऐसे सदस्य ने निर्वाचन अथवा नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता श्रेणी के लागू सभी मानदंडों को पूरा किया हो।

(3) वर्तमान अनुच्छेद 4.5 में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

सदस्यों को देय मूल्य

- (i) सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए गए दूध का मूल्य निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।
- (ii) कंपनी अपने सदस्यों से दूध खरीदने के लिए, संबंधित क्षेत्र में चल रहे मूल्य और समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर भिन्न मूल्य दे सकती है।
- (iii) कोई सदस्य प्रारंभ में देय एवं भुगतान योग्य मूल्य का आंशिक भुगतान प्राप्त कर सकता है, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाए तथा रोके गई मूल्य का भुगतान बाद में नकद अथवा वस्तु के रूप में या कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए दूध के अनुपात में अथवा अन्यथा, इक्विटी शेयरों के आवंटन द्वारा, ऐसी सीमा तक, और ऐसे तरीके से तथा ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

अन्य भुगतान:

- (iv) कंपनी, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों के आधार पर तथा ऐसी सीमा तक, ऐसे तरीके से एवं ऐसी शर्तों के अधीन, सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है।

(4) वर्तमान अनुच्छेद 9.6 i. में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.6 i. कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम सभा में कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक-चौथाई निदेशक चक्रीय कर्म से सेवानिवृत्त होंगे तथा चक्रीय कर्म से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों को अंतर्नियम 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रीय कर्म से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे, जो अपनी पिछली नियुक्ति के पश्चात वार्षिक आम सभा में सबसे अधिक समय से पद पर कार्यरत रहे हों। ऐसे निदेशकों के बीच, जिनकी पिछली नियुक्ति एक ही वार्षिक आम सभा में हुई हो, चक्रीय कर्म से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक(कों) का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(5) वर्तमान अनुच्छेद 9.6 iii. में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.6iii अंतर्नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक निदेशक, निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित/नियुक्त नहीं किया जाएगा, ऐसा निदेशक, निदेशक का पद छोड़ने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत किसी निदेशक की नियुक्ति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकाल के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(6) वर्तमान अनुच्छेद 9.16 में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.16 कोई निर्वाचित निदेशक, कंपनी का सदस्य न रहने पर अथवा इन अंतर्नियमों के अंतर्गत मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अयोग्य हो जाने पर, निदेशक के पद पर बने रहने का अधिकार समाप्त हो जायेगा। साथ ही, कोई सदस्य निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा, यदि:

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी को इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी ऐसे कार्य, कृत्य, मामले एवं कार्यवाहियाँ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

10. आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“विलीन होने वाली कंपनी”) का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“विलय प्राप्त करने वाली कंपनी”) में विलय पर विचार एवं अनुमोदन एवं अगर उचित समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के “विशेष प्रस्ताव” के तौर पर पारित करना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“एक्ट”) की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों, एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (“MoA”) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (“AoA”) के प्रावधानों के अनुसार, और जहाँ भी लागू हो, कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों की मंजूरी एवं अन्य जरूरी कानूनी एवं रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन, बोर्ड आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ आशा या मर्ज होने वाली कंपनी या विलीन/विलय होने वाली कंपनी या मर्जिंग कंपनी या मर्जर वाले कंपनी कहा गया है) का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ उजाला या मर्ज हुई कंपनी या विलय प्राप्त करने वाली/विलयित कंपनी या मर्ज्ड कंपनी कहा गया है) के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। प्रभावी तारीख (यानी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति मिलने तक, जो भी पहले हो) से, मर्ज होने वाली कंपनी (अपने सभी कामकाज और पूरे कारोबार सहित) मर्ज हुई कंपनी में विलय हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी एवं उसमें निहित हो जाएगी (या निहित मानी जाएगी)। यह एक चालू कारोबार (गोइंग कंसर्न) के तौर पर होगा, जिसके लिए किसी और काम, दस्तावेज, डीड या चीज की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले में, मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के पास रिकॉर्ड तारीख को मौजूद हर 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) के बदले, मर्ज हुई कंपनी का 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) जारी और अलॉट किया जाएगा (इसे “शेयर एक्सचेंज रेश्यो” कहा गया है), और इसमें (बिना किसी सीमा के) जहाँ लागू हो, ये चीजें शामिल होंगी।”

- a) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं (i) सभी संपत्तियां और प्रॉपर्टी, चाहे वे चल हों या अचल, वास्तविक हों या व्यक्तिगत, कब्जे में हों या भविष्य में मिलने वाली हों, भौतिक हों या अमूर्त, दिखाई देने वाली हों या न दिखाई देने वाली, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी प्लांट और मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, काम जो अभी चल रहा है (work in progress), करंट एसेट्स, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और पेरिफेरल्स, बीमा पॉलिसी और/या उनसे जुड़े कोई भी क्लेम, टेलीफोन और संचार की अन्य सुविधाएं, ऑफिस के उपकरण, इंस्टॉलेशन, यूटिलिटीज और सर्विस कनेक्शन, (iii) रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, ग्रांट, प्रोत्साहन, गारंटी, बॉन्ड, अधिकार और लाइसेंस, रिजर्व, प्रावधान, फंड, लीज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, अनुमति, सहमति, मंजूरी, जो राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य अथॉरिटी से उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी के अधिकार, परिसर, हायर परचेज, उधार देने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, डीड, व्यवस्था, समझौता ज्ञापन, टेक्नोलॉजी/तकनीकी समझौते, बॉन्ड, शक्तियां, अथॉरिटी, परमिट, आवंटन, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, लाभ, ईजमेंट (सुविधा का अधिकार) और सभी अधिकार, मालिकाना हक, हित, गुडविल, नॉन-कम्पलीट फीस, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्त होने वाली राशि (receivables), बयाना राशि (earnest money), पैसे के बदले भुगतान, प्रोटेस्ट मनी, लोन, डिपॉजिट (सुरक्षा डिपॉजिट सहित), और दिए गए एडवांस, जिसमें बिना किसी सीमा के उस पर अर्जित ब्याज या कोई अन्य आय, कैश, बैंक बैलेंस, खाते और अन्य सभी अधिकार, सभी समझौतों के लाभ शामिल हैं, (vi) टैक्स और अन्य क्रेडिट (जिसमें इनकम-टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, विदेशी टैक्स क्रेडिट, इक्वलाइजेशन लेवी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी बुक प्रॉफिट पर टैक्स, स्रोत पर काटा गया टैक्स, स्रोत पर वसूला गया टैक्स आदि से संबंधित क्रेडिट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), किसी भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क की वापसी (जिसमें रिफंड के रूप में दावा की गई सभी राशियां शामिल हैं, चाहे वे अकाउंट की किताबों में दर्ज हों या नहीं), (vii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अकाउंट की किताबें, दस्तावेज और रिकॉर्ड, चाहे वे किसी भी तरह के हों और कहीं भी स्थित हों, जो कंपनी के हों या उसके कब्जे में हों या उसके पक्ष में दिए गए हों या जिनका वह इस्तेमाल करती हो, (जिन्हें यहां “संपत्तियां” कहा गया है);

- b) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सहमति, मंजूरी, ग्रांट, अलॉटमेंट, सिफारिशें, क्लीयरेंस और किरायेदारी के अधिकार, चाहे वे किसी सरकारी अथॉरिटी से हों या किसी व्यक्ति से;
- c) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी विशेषाधिकार और फायदे, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, खरीद और बिक्री के ऑर्डर, मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोली, टेंडर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ इंटेन्ट, कमिटमेंट, अंडरटेकिंग, डीड, बॉन्ड, किसी भी तरह की व्यवस्था और किसी भी प्रकार या विवरण के अन्य डॉक्यूमेंट (चाहे लिखित, मौखिक या अन्यथा) से या उनके तहत मिलते हों; और अन्य सभी अधिकार, जिनमें बिना किसी सीमा के लीज के अधिकार, लाइसेंस और हर तरह की सुविधाएँ शामिल हैं;
- d) किसी भी ऐसे क्लेम का अधिकार जो मर्ज होने वाली कंपनी ने टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क के रिफंड के संबंध में नहीं किया है (जिसमें कंपनी द्वारा किया गया कोई भी गलत या ज्यादा पेमेंट और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है), जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, एक्ट, नियम या प्रस्ताव से संबंधित हो; और IT एक्ट या अन्य देशों के टैक्स कानूनों के तहत, या उक्त कानूनों या किसी अन्य कानून के तहत सेट-ऑफ, अनएम्बॉर्ब्ड लॉस और/या अनएम्बॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आगे ले जाने (कैरी फॉरवर्ड), डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कटौती, छूट, रिबेट, अलाउंस, अमॉर्टाइजेशन फायदा आदि के संबंध में अधिकार;
- e) सभी कर्ज (सिक्वोर्ड और अनसिक्वोर्ड), देनदारियां (जिनमें आकस्मिक देनदारियां भी शामिल हैं), शुल्क, मर्ज होने वाली कंपनी के लीज, एक्सपोर्ट से जुड़ी जिम्मेदारियां और किसी भी तरह की, किसी भी प्रकृति या विवरण वाली अन्य सभी जिम्मेदारियां। बशर्ते कि, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा किए गए सिक्वोरिटी डॉक्यूमेंट्स या व्यवस्थाओं में किसी भी संदर्भ का अर्थ केवल मर्ज होने वाली कंपनी के उस उपक्रम (अंडरटेकिंग) से जुड़ी संपत्तियों या प्रॉपर्टीज के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा, जो प्रस्ताव के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित (vested) हो गई हैं और प्रस्ताव का असर मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा लिए गए किसी लोन, डिपॉजिट या सुविधा के लिए सिक्वोरिटी को बढ़ाने वाला नहीं होगा, जो मर्ज के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित हो गई हैं, और मर्ज की गई कंपनी मर्ज के प्रभावी होने के बाद इसके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्वोरिटी बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;
- f) किसी भी तरह की अन्य सभी जिम्मेदारियां, जिनमें मर्ज होने वाली कंपनी की देनदारियां भी शामिल हैं;
- g) मर्ज होने वाली कंपनी से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाही, जिनमें टैक्स, अपीलीय, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही शामिल हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों; और
- h) प्रभावी तिथि (Effective Date) पर, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में मर्ज होने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

ऊपर बताई गई बातों को सीमित किए बिना, इस प्रस्ताव और नीचे दी गई जानकारी के अनुसार, इस विलय से विलय होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियों, एसेट्स, अधिकारों, ग्रांट्स, दावों, कर्तव्यों, दायित्वों, हकदारियों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, फायदों, इंसेंटिव्स, कर्मचारियों, देनदारियों आदि को विलय के बाद बनने वाली कंपनी में।

1. संपत्ति का ट्रांसफर

- 1.1 ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, (i) मर्ज होने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल (movable) हैं या अमूर्त (incorporeal) हैं या जिन्हें हाथ से या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी (constructive delivery) या एंडोर्समेंट और डिलीवरी के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है, उन्हें मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, (ii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्तियां (जमीन, इमारत और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), चाहे वे फ्रीहोल्ड हों या लीजहोल्ड, और उनसे जुड़े टाइटल के दस्तावेज, अधिकार और ईजमेंट (easements), मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित (vested) हो जाएंगे, या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं, और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, और (iii) ऊपर बताई गई संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार (sundry debtors), निवेश, बकाया लोन, डिपॉजिट और एडवांस (अगर कोई हों) शामिल हैं, जिन्हें कैश या वस्तु के रूप में या मूल्य के बदले वसूला जा सकता है, और बैंक बैलेंस (अगर कोई हों) जो सरकार, स्थानीय और अन्य अधिकारियों और निकायों, ग्राहकों, सप्लायरों या अन्य लोगों के पास हैं, वे मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगे या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं; इसके लिए किसी और काम, दस्तावेज या डीड की जरूरत नहीं होगी और यह प्रस्ताव लागू होने पर ऐसा माना जाएगा।

- 1.2 एक्ट की धारा 378ZN के तहत पास किए गए प्रस्ताव को लागू करने के मकसद से, ऐसी संपत्तियों, प्रॉपर्टी और अधिकारों (अगर कोई हों) के मामले में जिनके लिए किसी कानून या अन्य तरीके से अलग-अलग डॉक्यूमेंट, डीड या ट्रांसफर एग्रीमेंट (जैसे अटॉर्नमेंट या एंडोर्समेंट के डॉक्यूमेंट) की जरूरत होती है, मर्ज हुई कंपनी जरूरत पड़ने पर जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करेगी ताकि म्यूटेशन आसानी से पूरा हो सके और यह इस प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा होगा।
- 1.3 प्रभावी तारीख से, मर्ज होने वाली कंपनी की अचल संपत्तियों (अगर कोई हों) का मालिकाना हक मर्ज हुई कंपनी का माना जाएगा और म्यूटेशन हो चुका माना जाएगा; और इस प्रस्ताव को सही रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना ही ऐसी अचल संपत्तियों पर मर्ज हुई कंपनी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड के तौर पर काफी होगा।
- 1.4 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) पर 'मर्जिंग कंपनी' (विलय होने वाली कंपनी) की सभी संपत्तियां – चाहे वे 'मर्जिंग कंपनी' की बुक्स (रिकॉर्ड) में शामिल हों या नहीं – बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज या डीड के, 'मर्ज्ड कंपनी' (विलय के बाद बनी कंपनी) को ट्रांसफर और उनमें निहित (vested) मानी जाएंगी। यह तब होगा जब एक्ट की धारा 378ZN के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव (resolution) लागू हो जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि प्रस्ताव दाखिल करने की तारीख के बाद, 'मर्ज्ड कंपनी' के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा कोई भी 'ओनरस एसेट' (भारी देनदारी वाली या बोझिल संपत्ति) हासिल नहीं की गई हो।
- 1.5 सभी ग्रांट्स (चाहे वे एक बार मिलने वाले हों या बार-बार मिलने वाले; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, संस्था, उपक्रम, एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा दिए गए हों; साथ ही सभी किश्तें, ट्रेच, ड्रॉडाउन, भुगतान, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे मंजूर किए गए हों, आवेदन किया गया हो, दावा किया गया हो, प्राप्त हुए हों आदि) जिनके लिए 'मर्जिंग कंपनी' 'इफेक्टिव डेट' पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या पैरामीटर को पूरा करने पर पात्र थी या है, वे 'मर्ज्ड कंपनी' को ट्रांसफर हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे। ये ग्रांट्स 'मर्ज्ड कंपनी' के साथ उसी तरह और उसी प्रभाव से जारी रहेंगे, और उन पर वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो 'मर्जिंग कंपनी' पर लागू होतीं यदि यह विलय नहीं हुआ होता; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज या डीड की आवश्यकता नहीं होगी।

2. देनदारियों का ट्रांसफर

- 2.1 इफेक्टिव डेट से, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां – जिनमें सभी सिक्क्योर्ड और अनसिक्क्योर्ड कर्ज, विविध लेनदार, देनदारियां (कंटीजेंट देनदारियां और डेफर्ड टैक्स देनदारी सहित), शुल्क, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (किसी भी रूप में कंटीजेंट देनदारी पैदा करने वाली कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था सहित) शामिल हैं, चाहे वे मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों में दर्ज हों या नहीं, और चाहे वे किसी भी प्रकार, प्रकृति या विवरण की हों और कैसे भी उत्पन्न हुई हों, उठाई गई हों या उसके बिजनेस गतिविधियों और ऑपरेशन्स के लिए इस्तेमाल की गई हों – वे सभी, सेक्शन 378ZN और एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, बिना किसी अतिरिक्त कार्य, इंस्ट्रूमेंट, डीड, मामले या चीज के, मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगी (या मानी जाएंगी कि ट्रांसफर और निहित हो गई हैं), साथ ही उन पर कोई भी चार्ज, एनकंब्रेंस, मॉर्गेज, लीन, हाइपोथेकेशन या सिक्क्योरिटी भी ट्रांसफर होगी। मर्ज की गई कंपनी इफेक्टिव डेट पर बकाया देनदारियों को उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे वे मर्ज होने वाली कंपनी पर लागू थीं, और मर्ज की गई कंपनी उनकी शर्तों के अनुसार उन्हें पूरा करेगी और चुकाएगी, बिना इस बात के कि मर्जर प्रभावी होने के बाद उसे उनके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्क्योरिटी बनानी पड़े। इसके अलावा, इस पैरा 2.1 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति लेना जरूरी नहीं होगा जो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था का हिस्सा है जिसके कारण ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हैं।
- 2.2 हालांकि, "इफेक्टिव डेट" (प्रभावी तिथि) के बाद, अगर किसी कानून या अन्य वजह से जरूरत हो, तो "मर्ज्ड कंपनी" (विलय के बाद बनी कंपनी) लेनदारों या उधार देने वालों (जैसा भी मामला हो) के पक्ष में, या उस कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था से जुड़े किसी अन्य पक्ष के पक्ष में—जिसमें "मर्जिंग कंपनी" (विलय होने वाली कंपनी) शामिल है—पुष्टि करने वाले दस्तावेज (deeds of confirmation) या कोई भी जरूरी लिखित दस्तावेज तैयार और निष्पादित कर सकती है, ताकि यहाँ बताई गई शर्तों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके। प्रस्ताव की शर्तों के तहत, "मर्ज्ड कंपनी" को "मर्जिंग कंपनी" की ओर से ऐसे दस्तावेज तैयार करने और ऊपर बताई गई सभी औपचारिकताओं और नियमों का पालन करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

- 2.3 मर्जर करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के बीच कोई भी लोन, एडवांस और अन्य देनदारियां (जिनमें कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ कम्फर्ट या कोई अन्य ऐसा इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देनदारी (contingent liability) पैदा हो सकती है) अगर हों, तो वे अपने-आप खत्म हो जाएंगी और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई देनदारी नहीं रहेगी; साथ ही, मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों और रिकॉर्ड्स में इसका उचित असर दिखाया जाएगा।

3 कानूनी कार्यवाही

- 3.1 अगर 'मर्ज होने वाली कंपनी' (Merging Company) से जुड़े या उससे संबंधित किसी भी तरह के कानूनी रूप से मान्य, कार्रवाई-योग्य और लागू करने योग्य मुकदमे, कार्रवाई और कार्यवाही (जिन्हें यहाँ "कार्यवाही" कहा गया है) 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर लंबित हैं, तो वे इस प्रस्ताव या प्रस्ताव में शामिल किसी भी बात के कारण खत्म या बंद नहीं होंगे और न ही उन पर कोई बुरा असर पड़ेगा; बल्कि, ये कार्यवाहियाँ 'मर्ज हुई कंपनी' (Merged Company) द्वारा या उसके खिलाफ उसी तरह, उसी हद तक और उतनी ही प्रभावशीलता के साथ जारी रखी और लागू की जाएंगी, जैसे कि इस प्रस्ताव के बिना 'मर्ज होने वाली कंपनी' द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखी और लागू की जाती।

4 कर्मचारी और अन्य कर्मी

- 4.1 मर्जर वाली कंपनी (Merging Company) के सभी कर्मचारी (जिनमें सेक्रेटरी और मैनेजर भी शामिल हैं), जो 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर नौकरी में हैं, वे 'प्रभावी तारीख' से ही मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) के कर्मचारी बन जाएंगे। उनकी सेवा की शर्तें और नियम 'प्रभावी तारीख' पर लागू शर्तों और नियमों से कमतर नहीं होंगे।
- 4.2 'प्रभावी तारीख' से, कर्मचारियों की सेवा को बिना किसी ब्रेक, रुकावट या व्यवधान के लगातार माना जाएगा। यह विभिन्न फंडों (जिनकी परिभाषा नीचे दी गई है) की सदस्यता और उनके नियमों या उप-नियमों को लागू करने के मकसद से किया जाएगा।
- 4.3 साफ तौर पर यह तय किया गया है कि 'इफेक्टिव डेट' (लागू होने की तारीख) पर, 'मर्जिंग कंपनी' (मिलने वाली कंपनी) के कर्मचारियों के फायदे के लिए बनाए गए या मौजूद प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, लीव बैलेंस या कोई अन्य स्पेशल फंड या ट्रस्ट (जिन्हें यहाँ "फंड" कहा गया है), उन कर्मचारियों के सभी योगदानों (ब्याज/निवेश सहित, जो ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों से जुड़े और उनके हिस्से के हैं) के साथ, 'मर्ज्ड कंपनी' (जिसमें विलय हुआ है) के संबंधित फंड में ट्रांसफर और मर्ज कर दिए जाएंगे। ये शर्तें और नियम, विलय से ठीक पहले 'मर्जिंग कंपनी' के उन कर्मचारियों पर लागू शर्तों और नियमों से कम फायदेमंद नहीं होंगे। यह सब लागू कानून (यानी कोई भी कानून, जिसमें गाइडलाइंस, फैसले, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, नियम, रेगुलेशन आदि शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति पर लागू या बाध्यकारी हों, चाहे वह भारत में हो या बाहर) के तहत सभी रेगुलेटरी/कानूनी जरूरतों/मंजूरीयों का पालन करते हुए किया जाएगा, और इसके लिए किसी अतिरिक्त काम, दस्तावेज या डीड की जरूरत नहीं होगी।
- 4.4 मर्ज होने वाली कंपनी (Merged Company) की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ट्रस्ट डीड (अगर कोई हो) में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार उन फंड्स में योगदान करे। इसका मकसद यह है कि ऐसे फंड या फंड्स के संबंध में मर्ज करने वाली कंपनी (Merging Company) के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व मर्ज होने वाली कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि फंड्स के मकसद से कर्मचारियों की सेवाओं को लगातार माना जाएगा और इसलिए, मर्ज होने वाली कंपनी के साथ ऐसे कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। मर्ज करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के संबंधित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख से, मर्ज करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों और नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी, सिवाय सामान्य कामकाज के दौरान। ऊपर दी गई बातों के बावजूद, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उसे सही लगे और लागू कानूनों के अधीन, मर्ज करने वाली कंपनी के पुराने फंड (फंड्स) के लिए मर्ज होने वाली कंपनी के भीतर अलग-अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5 परमिट

- 5.1 सभी सरकारी मंजूरीयां और अन्य सहमतियां, अनुमतियां, कोटा, अधिकार, ऑथराइजेशन, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, रजिस्ट्रेशन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र और लाइसेंस – जिनमें पर्यावरण मंजूरी, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे मर्ज होने वाली कंपनी जुड़ी है या जिनका फायदा उठाने की वह हकदार है और जिनकी जरूरत मर्ज होने वाली कंपनी के कामकाज को चलाने के लिए हो सकती है, और जो 'इफेक्टिव डेट' से ठीक पहले लागू या चालू हैं – वे सभी मर्ज होने वाली कंपनी के पक्ष में पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे और उन्हें उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि मर्ज होने वाली कंपनी ही उनकी पार्टी, लाभार्थी या उनसे जुड़ी पक्षकार रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज या विलेख (deed) की जरूरत नहीं होगी।

- 5.2. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी (Merged Company) अपने-आप मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) का बिजनेस करने का अधिकार हासिल कर लेगी। इसमें लागू कानून के तहत जरूरी सभी मंजूरी, सहमति, परमिशन, कोटा, अधिकार, ऑथराइजेशन, हक, अलॉटमेंट, रियायत, छूट, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए मर्ज हुई कंपनी के नाम पर किसी और एप्लीकेशन या दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

6 टैक्सेशन

- 6.1. यह प्रस्ताव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ("IT एक्ट") की धारा 2(6) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत "अमलगमेशन" (विलय) से जुड़ी शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा, जिसके तहत:
- a) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;
 - b) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,
 - c) मर्ज होने वाली कंपनी में कम से कम तीन-चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।
- 6.2. अगर बाद में कभी भी (चाहे कानून में बदलाव की वजह से हो या किसी और वजह से) इस प्रस्ताव की कोई भी शर्त या प्रावधान IT एक्ट की धारा 2(6) और 70 के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाते हैं या उनका अर्थ ऐसा निकाला जाता है, तो उस धारा के प्रावधान ही मान्य होंगे। पार्टियां इस प्रस्ताव में ऐसे बदलाव करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करेंगी जो दोनों पक्षों को मंजूर हों और जिनसे यह पक्का हो सके कि प्रस्ताव उन प्रावधानों का पालन करता है। साथ ही, उन प्रावधानों का पालन करने के लिए जरूरी हद तक इस प्रस्ताव में बदलाव माना जाएगा। हालांकि, ऐसे बदलाव का असर प्रस्ताव के बाकी हिस्सों पर नहीं पड़ेगा।
- 6.3. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी को साफ तौर पर यह इजाजत होगी कि वे अपने-अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटर्न के साथ-साथ IT एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 और दूसरे टैक्स कानूनों के तहत तय फॉर्म, फाइलिंग और एनेक्जर में बदलाव कर सकें। साथ ही, वे प्रस्ताव के प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी होने पर, चुकाए गए टैक्स (जैसे TDS, TCS आदि) के लिए रिफंड और/या क्रेडिट का दावा कर सकें और उससे जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर सकें।
- 6.4. ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, इस प्रस्ताव के लागू होने पर, लागू कानूनों के तहत मर्जर करने वाली कंपनी (Merging Company) को मिलने वाले सभी फायदे, इंसेंटिव, नुकसान और क्रेडिट (जैसे इनकम टैक्स, TDS, TCS, GST आदि) मर्जर के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगे और उसके अधिकार में आ जाएंगे। यह साफ तौर पर बताया जाता है कि प्रभावी तारीख (Effective Date) से, मर्जर करने वाली कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले सभी टैक्स, मर्जर के बाद बनी कंपनी की टैक्स देनदारी माने जाएंगे। प्रभावी तारीख को या उसके बाद मर्जर करने वाली कंपनियों द्वारा लागू कानूनों के तहत किए गए सभी अनुपालन (Compliances), मर्जर के बाद बनी कंपनी द्वारा किए गए माने जाएंगे।
- 6.5. इसके अलावा, मर्जर करने वाली कंपनी को मिलने वाली सभी कटौतियां और छूट (जैसे असल भुगतान पर, सही टैक्स काटने पर, या TDS जमा करने पर मिलने वाली छूट) IT एक्ट के तहत लागू शर्तों को पूरा करने पर मर्जर के बाद बनी कंपनी को भी मिलेंगी।

7 समझौते, अनुबंध और विलेख (Deeds)

- 7.1. प्रभावी तिथि से और इस प्रस्ताव में शामिल अन्य प्रावधानों के अधीन, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) से जुड़े सभी अनुबंध, विलेख, बॉन्ड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज – जिनमें विलय होने वाली कंपनी एक पक्ष है या जिनका लाभ उसे मिल सकता है, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले लागू या प्रभावी थे – वे विलय हो चुकी कंपनी (Merged Company) के लिए, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में (जैसा भी मामला हो) पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे। ये विलय हो चुकी कंपनी पर उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से बाध्यकारी होंगे और लागू किए जाएंगे, मानो विलय होने वाली कंपनी के बजाय विलय हो चुकी कंपनी ही उनका पक्ष रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख की आवश्यकता नहीं होगी।

- 7.2. जैसा कि ऊपर पैरा 7.1 में बताया गया है, प्रभावी तारीख (Effective Date) पर किसी भी पार्टी के साथ जो भी समझौते और कॉन्ट्रैक्ट लागू हैं, वे मर्जर के बाद बनी कंपनी (Merged Company) और उन पार्टियों के बीच लागू रहेंगे। इसलिए, ऐसा कोई भी समझौता नहीं है जिसे बदला, रद्द या खत्म किया जाएगा, जिसके लिए एक्ट की धारा 378ZN(8)(e) के तहत पहले से कोई नोटिस या सहमति लेने की जरूरत हो।
- 7.3. इस प्रस्ताव की दूसरी शर्तों पर असर डाले बिना और इस बात के बावजूद कि उपक्रम (Undertaking) का हस्तांतरण इसी प्रस्ताव के तहत हो रहा है, मर्ज हुई कंपनी (Merged Company) – अगर किसी कानून या अन्य वजह से जरूरी हो – तो ऐसे दस्तावेज, लिखित समझौते या कन्फर्मेशन (पुष्टि) तैयार कर सकती है या उन पर हस्ताक्षर कर सकती है, या किसी तीन-पक्षीय समझौते या व्यवस्था में शामिल हो सकती है। इन समझौतों में, अगर जरूरी हो, तो मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) भी एक पक्ष होगी, ताकि इस प्रस्ताव की शर्तों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके। इसके अलावा, मर्ज हुई कंपनी को मर्ज होने वाली कंपनी की ओर से ऐसे दस्तावेज या कन्फर्मेशन तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। साथ ही, प्रस्ताव की शर्तों को लागू करने के लिए मर्ज होने वाली कंपनी की तरफ से जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का अधिकार भी मर्ज हुई कंपनी के पास होगा।
- 7.4. मर्ज होने वाली कंपनी के सभी अधिकार और जिम्मेदारियाँ (चाहे वे नियमों के पालन से जुड़े हों या एक्ट और उसके तहत बने नियमों और रेगुलेशन के तहत हों) मर्ज की गई कंपनी को मिल जाएँगी। यह माना जाएगा कि मर्ज की गई कंपनी ने सभी जरूरी कॉर्पोरेट मंजूरीयों ले ली हैं और सभी नियमों का पालन कर लिया है।
- 7.5. मर्ज होने वाली कंपनी के लिए जारी की गई सभी इश्योरेंस पॉलिसी का फायदा मर्ज हुई कंपनी को मिलेगा और इन पॉलिसी में “बीमित” (Insured) के तौर पर मर्ज हुई कंपनी का नाम शामिल किया जाएगा, मानो मर्ज हुई कंपनी शुरू से ही उस पॉलिसी का हिस्सा रही हो।
- 7.6. मर्जर के असरदार होने के बाद, मर्ज हुई कंपनी का बोर्ड मुख्य गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता रहेगा और उसके पास सभी अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ बनी रहेंगी। वहीं, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई या काम के अपने-आप भंग हो जाएगा, क्योंकि विलय के बाद मर्ज होने वाली कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मर्ज होने वाली कंपनी के बोर्ड के पास पहले से मौजूद सभी अधिकार, दायित्व और शक्तियाँ मर्ज हुई कंपनी के बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएँगी और वही उनका इस्तेमाल करेगा।
- 7.7. इस प्रस्ताव को पास करने की तारीख से तीन महीने पहले, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा या उनके खिलाफ किसी संपत्ति के संबंध में किए गए किसी ट्रांसफर, सामान की डिलीवरी, पेमेंट, निष्पादन या किसी अन्य काम को रद्द करने का कोई मामला सामने नहीं आया है; अगर ऐसा कोई काम किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया होता, तो उसके दिवालिया होने की स्थिति में उसे धोखाधड़ी से दी गई प्राथमिकता (fraudulent preference) माना जाता।

8 प्रतिफल (CONSIDERATION)

- 8.1. प्रस्ताव के लागू होने पर और मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) के मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) में विलय के प्रतिफल के तौर पर, मर्ज हो चुकी कंपनी बिना किसी अतिरिक्त आवेदन, कार्रवाई, दस्तावेज, सहमति या इंस्ट्रूमेंट के, मर्ज होने वाली कंपनी के उन सदस्यों को इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी जिनके पास मर्ज होने वाली कंपनी के पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम रिकॉर्ड डेट (यानी प्रभावी तिथि) पर मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या शेयर एक्सचेंज अनुपात के अनुसार मर्ज होने वाली कंपनी / मर्ज हो चुकी कंपनी के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उनके संबंधित वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या हक के अन्य उत्तराधिकारियों को शेयर जारी और आवंटित करेगी। ये शेयर पूरी तरह से पेड-अप माने जाएंगे और नीचे बताई गई मात्रा में होंगे।
- 8.2. ऊपर बताए गए शेयर एक्सचेंज अनुपात को दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकॉर्ड पर लिया है और मंजूरी दी है। यह मंजूरी शेयर एक्सचेंज अनुपात तय करने के लिए प्राप्त वैल्यूएशन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दी गई है।
- 8.3. मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना, मर्ज हुई कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अधीन होगा। ये शेयर सभी मामलों में मर्ज हुई कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर (pari passu) होंगे, जिसमें डिविडेंड, बोनस, वोटिंग अधिकार और मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभ शामिल हैं।

8.4. मर्ज हुई कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का मतलब यह माना जाएगा कि मर्ज हुई कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर जारी करने और अलॉट करने, तथा इस प्रस्ताव में बताए अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए एक्ट की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य संबंधित और लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों का उचित पालन किया गया है। इसके बाद, मर्ज हुई कंपनी को धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों के तहत कोई और प्रस्ताव पारित करने या कोई और कार्रवाई (किसी भी प्रक्रियात्मक जरूरत को पूरा करने सहित) करने की जरूरत नहीं होगी।

8.5. ऊपर पैरा 8.1 में बताए गए प्रतिफल के अलावा, मर्ज हुई कंपनी कोई अन्य शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल जारी, आवंटित या निर्धारित नहीं करेगी।

9 असहमति रखने वाले सदस्यों या लेनदारों के लिए तरीका

9.1. एक्ट की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सदस्य या लेनदार जो प्रस्तावित प्रस्ताव से सहमत नहीं है, शेयरधारकों को नोटिस मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर निम्नलिखित विकल्प चुन सकता है—

(a) सदस्य के मामले में — बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से अपने शेयर किसी सक्रिय सदस्य को ट्रांसफर करना और इस तरह कंपनी के सदस्य के तौर पर बने न रहना; और

(b) लेनदार के मामले में — अपनी जमा राशि या लोन या एडवांस (जैसा भी मामला हो) को वापस लेना।

9.2. अगर ऊपर बताए गए 9.1(a) के तहत, कोई सक्रिय सदस्य नहीं है जो असहमति रखने वाले सदस्य से शेयर खरीदना चाहता हो, तो कंपनी खुद उन शेयरों को खरीदने का इंतजाम करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए हर शेयर के लिए 100 रुपये की फेस वैल्यू का भुगतान करेगी। अगर कंपनी कोई शेयर खरीदती है, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल उतनी ही कम हो जाएगी।

9.3. असहमति रखने वाले सदस्य के शेयर खरीदने के लिए किसी सक्रिय सदस्य को खोजने की प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर नहीं खरीदना चाहता है तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयर खरीदने की प्रक्रिया, इस प्रस्ताव की प्रभावी तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी ताकि ये लेनदेन उस तिथि से पहले हो सकें।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य निर्धारित समय—सीमा के भीतर अपने शेयर ट्रांसफर करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो उस सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमत माना जाएगा।

9.5. कंपनी, उसके निदेशक मंडल और अन्य अधिकारियों को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करनी होगी।

10 भविष्य में मर्ज हुई कंपनी के कामकाज का संचालन

मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी, दोनों ही मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने के एक ही बिजनेस में शामिल हैं। दोनों कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशन भी आम तौर पर एक जैसे हैं, जो इस प्रकार हैं:

- कंपनी तय किए गए मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPPs) पर सदस्यों से दूध इकट्ठा करने के लिए एक सहायक (सहायक) नियुक्त करती है।
- एक इनवर्ड ट्रांसपोर्टर कच्चे दूध को MPPs से मिल्क कलेक्शन सेंटर्स (MCCs) या बल्क मिल्क कूलर्स (BMCS) तक ढंडा करने और स्टोर करने के लिए ले जाता है।
- इसके बाद ढंडे किए गए दूध को आउटवर्ड ट्रांसपोर्टर मिल्क टैंकरों का इस्तेमाल करके NDS तक पहुँचाया जाता है।

मर्जर के बाद, कंपनी की बिजनेस गतिविधियाँ मौजूदा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और स्थापित तौर-तरीकों के अनुसार ही चलती रहेंगी। कंपनी की मुख्य बिजनेस गतिविधियों के स्वरूप या दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा। खरीद, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और वितरण से जुड़े सभी काम बिना किसी बदलाव के, बिजनेस के सामान्य कामकाज के तहत ही किए जाएँगे। साथ ही, कंपनी की मौजूदा खरीद या बिक्री नीतियों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मर्जर का कंपनी के चल रहे कामकाज, कमर्शियल रिश्तों या सर्विस देने के तरीकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

11 मर्जर के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट

रिजॉल्यूशन के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी अपने अकाउंट्स की किताबों में मर्जर का हिसाब-किताब उस अकाउंटिंग तरीके से करेगी जो एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिफाई किए गए लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक्ट के अन्य संबंधित प्रावधानों (साथ ही उनके तहत बने नियम और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांत) में बताया गया है।

11.1. मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट:

चूंकि मर्जर का प्रस्ताव लागू होने पर मर्जर करने वाली कंपनी बिना वाइंड-अप हुए ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इस प्रस्ताव के तहत मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का निर्देश नहीं दिया गया है।

11.2. विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

प्रस्ताव में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखांकन, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों ("एएस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपनी पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

- (a) दो स्वतंत्र कंपनियों के विलय के पूरा होने के बाद, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) की जो भी संपत्ति और देनदारियां इस प्रस्ताव के तहत विलय के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगी, उन्हें विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई गई 'कैरिंग वैल्यू' (लेखा-पुस्तक मूल्य) पर ही दर्ज किया जाएगा।
- (b) विलय होने वाली कंपनी के रिजर्व (संचय) की पहचान बनाए रखी जाएगी और विलय के बाद बनी कंपनी, विलय होने वाली कंपनी के रिजर्व को उसी रूप और उसी 'कैरिंग अमाउंट' (लेखा-पुस्तक राशि) पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।
- (c) विलय होने वाली कंपनी और विलय के बाद बनी कंपनी के विलय के परिणामस्वरूप, विलय के बाद बनी कंपनी की बही-खातों (बुक्स) में दिखाई देने वाले सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी बैलेंस (यदि कोई हों) रद्द माने जाएंगे और इस संबंध में आगे कोई दायित्व नहीं होगा।
- (d) पैरा 8 के तहत मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए मर्ज हो चुकी कंपनी के इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करने पर मिलने वाले शेयर प्रीमियम को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में सिक्वोरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा (अगर कोई हो)।
- (e) पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई कमी (डेफिसिट) आती है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 'कैपिटल रिजर्व' अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई सरप्लस (अतिरिक्त राशि) बचती है, तो उसे उपलब्ध बैलेंस की सीमा तक 'सिक्वोरिटीज प्रीमियम' अकाउंट के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई बाकी बैलेंस बचता है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस के जमा बैलेंस के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा।
- (f) मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हो चुकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह के अंतर के मामले में, मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसी ही लागू होगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी के आधार पर फाइनेंशियल स्थिति को दिखाएं।

12 विलय होने वाली कंपनी का समापन

प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज या विलेख के, बिना वाइंड-अप हुए ही भंग हो जाएगी।

13 अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

- 13.1 रिजॉल्यूशन के एक जरूरी हिस्से के तौर पर और "इफेक्टिव डेट" (प्रभावी तिथि) पर रिजॉल्यूशन के लागू होने के बाद, 'मर्जिंग कंपनी' की ₹15,00,00,000 (पंद्रह करोड़ भारतीय रुपये) की अधिकृत शेयर पूंजी—जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं—को 'मर्ज्ड कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिला दिया जाएगा और उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऊपर बताए अनुसार 'मर्जिंग कंपनी' की

अधिकृत शेयर पूंजी को “मर्ज्ड कंपनी” की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिलाने के बाद, ‘मर्ज्ड कंपनी’ की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर ₹25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी, जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे। इसके लिए ‘मर्ज्ड कंपनी’ को किसी और काम, दस्तावेज या डीड की जरूरत नहीं होगी; ‘मर्जिंग कंपनी’ द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस को ‘मर्ज्ड कंपनी’ द्वारा मर्जर के बाद अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी फीस के खिलाफ एडजस्ट (सेट-ऑफ) किया जाएगा; और ऐसी बढ़ोतरी के संबंध में किसी भी अतिरिक्त फीस या स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए ‘मर्ज्ड कंपनी’ की देनदारी (i) रिजॉल्यूशन के लागू होने के बाद ‘मर्ज्ड कंपनी’ द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय फीस या स्टाम्प ड्यूटी, और (ii) ‘मर्जिंग कंपनी’ द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस या स्टाम्प ड्यूटी (यदि कोई हो), के बीच के अंतर तक सीमित होगी; और MOA के क्लॉज VI में अधिकृत शेयर पूंजी वाला क्लॉज संशोधित हो जाएगा और इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) है, जिसमें 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रुपये (एक सौ रुपये) है।”

- 13.2. एक्ट की धारा 378ZN और उससे जुड़े नियमों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत, हर पार्टी के बोर्ड और सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर, यह माना जाएगा कि मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी के बोर्ड और सदस्यों ने भी एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों और नियमों के तहत अपनी सहमति दे दी है। यह सहमति मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी को लागू करने के लिए जरूरी होगी। इसके बाद, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हुई कंपनी को एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों, नियमों और आर्टिकल्स के तहत कोई और प्रस्ताव पास करने या कोई और कार्रवाई (जैसे किसी प्रक्रियात्मक जरूरत को पूरा करना) करने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी, अगर जरूरत हो, तो एक्ट और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या किसी अन्य लागू सरकारी अथॉरिटी के पास, मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज/सूचनाएं इस प्रस्ताव में बताए गए तरीके से जमा करेगी।

14 प्रस्ताव की अन्य शर्तें

- 14.1. इस प्रस्ताव को, या इसमें किए गए किसी भी बदलाव, संशोधन या अतिरिक्त चीजों को लागू करने के मकसद से, विलय करने वाली कंपनी और विलय होने वाली कंपनी के अधिकृत व्यक्ति ऐसे सभी निर्देश दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो जरूरी हों। इसमें किसी भी सवाल, संदेह या मुश्किल को सुलझाने या दूर करने के निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्णय या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी तरह बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे विशेष रूप से इस प्रस्ताव में शामिल किए गए हों।
- 14.2. विलीन होने वाली कंपनी के सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग, यदि कोई हों, वर्तमान एवं पूर्व ग्राहकों की सूचियां तथा अन्य सभी पुस्तकें एवं अभिलेख, चाहे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू विधियों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, विलीन होने वाली कंपनी द्वारा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को सौंपे जाएंगे।
- 14.3. उपरोक्त विलीन होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अंतरण, विधिक कार्यवाहियों की निरंतरता तथा करार, संविदाओं एवं विलेखों की प्रभावशीलता, प्रभावी तिथि को अथवा उससे पूर्व विलीन होने वाली कंपनी द्वारा पहले ही संपन्न किसी भी लेनदेन अथवा कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी, इस आशय एवं उद्देश्य से कि विलय प्राप्त करने वाली कंपनी विलीन होने वाली कंपनी द्वारा उस संबंध में किए गए एवं निष्पादित सभी कार्यों, विलेखों एवं बातों को इस प्रकार स्वीकार एवं अंगीकार करती है मानो वे इसकी ओर से किए एवं निष्पादित किए गए हों।
- 14.4. विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी, यथालागू अधिनियम की धारा 378ZN एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (“आरओसी”) को प्रभावी विलय बताते हुए संयुक्त अथवा पृथक सूचना देंगी, ताकि रजिस्ट्रार से विलीन होने वाली कंपनी का नाम हटाया जा सके, विलीन होने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में संयोजन हो सके तथा यदि आवश्यक हो तो अन्य कोई मामले सुलझाए जा सकें।
- 14.5. विलीन होने वाली कंपनी के प्रस्ताव, यदि कोई हों, जो प्रभावी तिथि को वैध एवं विद्यमान हैं, वैध एवं विद्यमान बने रहेंगे तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी के प्रस्तावों के रूप में माने जाएंगे तथा यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम अथवा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऊपरी मौद्रिक अथवा अन्य सीमा लागू की गई हो, तो उक्त सीमाएं जोड़ी जाएंगी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में उक्त सीमाओं का समग्र गठन करेगी।

- 14.6 अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलय प्राप्त करने वाली कंपनी की उधार सीमा, बिना किसी अतिरिक्त कार्य अथवा विलेख के, विलीन होने वाली कंपनी के उन कुल दायित्वों, यदि कोई हों, की राशि से स्वतः बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसरण में विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को अंतरित किए जा रहे हैं तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 14.7 विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी ने सामान्य व्यावसायिक क्रम में अपने सभी कर एवं बकाया विधिवत भुगतान किए हैं। जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, यह प्रस्ताव आईटी अधिनियम की धारा 2(6) एवं 70 के अनुपालन में है, तथा इस प्रस्ताव के अनुसार विलय के परिणामस्वरूप विलीन होने वाली कंपनी अथवा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। प्रस्ताव तक पहुंचने वाली बातचीत से संबंधित अथवा जुड़े किसी भी विलेख, दस्तावेज, लिखत के संबंध में स्टॉप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सहित सभी लागत, प्रभार, कर एवं व्यय तथा इस प्रस्ताव के नियमों एवं प्रावधानों को क्रियान्वित एवं लागू करने से जुड़े तथा इस प्रस्ताव के अनुसरण में व्यवस्था की पूर्णता से संबंधित व्यय, विलय प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा वहन एवं भुगतान किए जाएंगे।
- 14.8 विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की, यथालागू अधिनियम के अनुसार, प्रस्ताव हेतु सहमति, इस प्रस्ताव में निर्धारित सभी कार्रवाइयों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु पर्याप्त मानी जाएगी तथा कंपनियों की कोई अतिरिक्त कार्रवाई अलग से आवश्यक नहीं होगी।
- 14.9 यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय अथवा अकार्यशील पाया जाता है अथवा सदस्यों, ऋणदाताओं, सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृति के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से जिसे बोर्ड उचित समझे, तो यह, संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन, प्रस्ताव के अन्य भागों और/अथवा प्रावधानों की वैधता अथवा क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(भागों) को अलग करने एवं ऐसे संशोधन के साथ शेष प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु सहमति देने की स्वतंत्रता होगी।”

“यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने तथा इन प्रस्तावों में निहित व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक, वांछनीय, उचित अथवा आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य, विलेख, मामले एवं बातें करें, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित एवं समुचित समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों की किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता के, इस आशय एवं उद्देश्य से कि शेयरधारक अथवा सदस्य उक्त एवं इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्राधिकार द्वारा अपनी स्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रदान की हुई मानी जाएंगी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे अतिरिक्त विलेख, दस्तावेज एवं लेखन निष्पादित करें जो आवश्यक समझे जाएं, आवश्यक फाइलिंग करें तथा इन प्रस्तावों को प्रभावी करने एवं व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु कोई अथवा सभी गतिविधियां संपन्न करें।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन प्रस्तावों को प्रभावी करने हेतु, यदि आवश्यक हो, अपनी यहां प्रदत्त सभी अथवा किंहीं शक्तियों को कंपनी के किसी निदेशक(निदेशकों) एवं/अथवा अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, आवश्यक अथवा वांछनीय समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों से किसी अतिरिक्त स्वीकृति के।”

बोर्ड के आदेशानुसार
आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./—

धर्मेन्द्र कुमार
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डीआईएन: 8122632

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 18 अगस्त, 2026

नोट्स

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना मतदान देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:—
 - (i) दिनांक 26 सितम्बर, 2025 को 10वीं वार्षिक आम सभा की मिनट्स।
 - (ii) 31 मार्च, 2026 को अंकेक्षित आर्थिक चिह्ना एवं 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि का लाभ–हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
 - (iii) वित्तीय वर्ष 2026–2027 का बजट।
4. इस सूचना पत्र में संदर्भित संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सामान्य कार्यालय समय के दौरान, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, देखा जा सकता है।
5. सूचना पत्र की मद संख्या 8,9 और 10 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करके वाले व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
6. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने आनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
7. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
8. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 11वीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाईल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
11. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या अंशदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातों में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए दावाधनकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.ashamilk.com पर अदावाकृत या अंशदत्त राशि को देख सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या अंशदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते हैं।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।
13. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ashamilk.com पर उपलब्ध है।
14. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक आसानी से पहुँचने के लिए एक मार्ग मानचित्र वार्षिक आम बैठक की इस सूचना के साथ संलग्न है।

व्याख्यात्मक विवरण

(दिनांक 18.08.2026 की संलग्न सूचना के मद संख्या 8, 9 और 10 के लिए)

प्रस्ताव संख्या: 08

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6(ii) में यह प्रावधान है कि वार्षिक आम सभा में भरी जाने वाली निदेशक मंडल की किसी भी रिक्ति को निदेशक मंडल द्वारा गठित नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर भरा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.18(ii)(k) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा एक नामांकन समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जो पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी तथा वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा निर्वाचन अथवा नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ विलय को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने नामांकन समिति के गठन की आवश्यकता से छूट की पुष्टि करने की सिफारिश की है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में निदेशक मंडल की रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की पहचान एवं उनकी सिफारिश की प्रक्रिया को अन्य उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से संपादित किया जा रहा है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल, संलग्न सूचना पत्र के मद संख्या 08 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसित करता है।

प्रस्ताव संख्या: 09

कंपनी की ऑपरेशनल जरूरतों, गवर्नंस के तरीकों और प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("AoA") की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, गवर्नंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6 (i), 9.6(iii) और 9.16 में कुछ बदलावों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों में मुख्य रूप से नोटिस भेजने से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करना, गैर-जरूरी प्रावधानों को हटाना और अतिरिक्त गवर्नंस जरूरतों को शामिल करके डायरेक्टर्स के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंडों को मजबूत करना शामिल है। इन बदलावों का मकसद बेहतर गवर्नंस को बढ़ावा देना, आर्टिकल्स में स्पष्टता लाना, दोहराव को हटाना, कानूनी प्रावधानों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और कंपनी के प्रोड्यूसर सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी, प्रस्तावित बदलावों के साथ, इस तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सदस्यों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल, सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस के आइटम नंबर 9 में दिए गए स्पेशल रेजोल्यूशन की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का हित या जुड़ाव नहीं है, सिवाय उस हद तक, जितना कि कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी हो।

प्रस्ताव संख्या: 10

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलीन होने वाली कंपनी") का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय प्राप्त करने वाली कंपनी") में विलय

1. आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("आशा") के बारे में

- आशा एक उत्पादक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत 21 मार्च 2016 को निगमित हुई। यह मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा "मरुधरा" ब्रांड नाम के अंतर्गत उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।

- b. आशा का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01122RJ2016PTC049656 है।
- c. आशा का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं.-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सविना, उदयपुर हिरण मगरी, उदयपुर, गिर्वा, राजस्थान- 313 002, भारत में स्थित है।
- d. आशा के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, आशा के मुख्य उद्देश्य हैं:
- (1) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (2) सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
 - (3) सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।
 - (4) सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।
 - (5) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (6) सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- e. आशा के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का खंड 14 इसकी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान करता है।
- f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति आशा की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है।

विवरण	राशि रुपए में
अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 15,00,000 इक्विटी शेयर	रु.15,00,00,000
कुल	रु.15,00,00,000
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 8,30,598 इक्विटी शेयर	रु.8,30,59,800
कुल	रु.8,30,59,800

- 18 अगस्त 2026 को आशा की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 8,78,13,100/- है जो ₹ 100/-प्रत्येक के 8,78,131 इक्विटी शेयर में विभाजित है।

2. उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("उजाला") के बारे में

- a. उजाला एक उत्पादक कंपनी है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 01 अक्टूबर 2020 को निर्गमित हुई। उजाला मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।
- b. उजाला का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01400RJ2020PTC071310 है।
- c. उजाला का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट नं. 110, 111-ए, आर.के. पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास, कोटा, राजस्थान- 324 010, भारत में स्थित है।
- d. उजाला के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, उजाला के मुख्य उद्देश्य आशा के समान ही हैं

- (1) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (2) सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
 - (3) सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।
 - (4) सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।
 - (5) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (6) सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- e. उजाला के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का खंड 14 भी इसकी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान करता है।
- f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति उजाला की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	राशि रुपए में
अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर	रु.10,00,00,000
कुल	रु.10,00,00,000
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 3,78,794 इक्विटी शेयर	रु. 3,78,79,400 /—
कुल	रु. 3,78,79,400 /—

- 6 अगस्त 2026 को उजाला की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 3,87,58,100 /— है जो ₹ 100 /—प्रत्येक के 3,87,581 इक्विटी शेयर में विभाजित है।

3. प्रस्तावित विलय हेतु तर्काधार (रैशनल)

- a. आशा एवं उजाला दोनों अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियां हैं। दोनों कंपनियां समान व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, अर्थात् मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रहण, क्रय एवं प्रसंस्करण, उसका विपणन तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्नता। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक परिचालन में उत्पादकता बढ़ाने हेतु सदस्यों को पशु आहार, खनिज मिश्रण, साइलेज एवं कैल्शियम की आपूर्ति तथा बेहतर प्रजनन प्रथाओं एवं समग्र पशु स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों को कृत्रिम गर्भाधान (एआई) एवं पशु चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।
- b. आशा का उजाला में विलय उजाला के व्यावसायिक परिचालन के विस्तार हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उजाला को अधिक दूध खरीद मात्रा, सदस्य आधार एवं समग्र परिचालन पैमाना प्राप्त होगा, साथ ही व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का विस्तार एवं सुदृढीकरण होगा। पाली, सिरौही, जालोर, सलूंबर, बांसवाड़ा, खूंवरपुर, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, बालोतरा, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर के क्षेत्र, जहां उजाला की अभी तक दूध संग्रहण नेटवर्क स्थापित नहीं है परंतु आशा की पहले से उपस्थिति है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ के वर्तमान क्षेत्रों के साथ उजाला के परिचालन में जुड़ जाएंगे, जिससे उसका राजस्व बढ़ेगा तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों की आय भी बढ़ेगी। यह विलय परिचालन नकदी प्रवाह के अधिक कुशल प्रबंधन में सहायता करेगा।

- c. आगे, आशा ने 7 (सात) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 5 (पांच) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) से युक्त एक सुदृढ़ खरीद एवं अवसंरचना नेटवर्क स्थापित किया है। विलय पर, यह अवसंरचना उजाला के विद्यमान 4 (चार) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 6 (छः) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) के नेटवर्क के साथ एकीकृत होगी, जिससे एक बहुत बड़ा एवं अधिक कुशल परिचालन मंच सृजित होगा। संयुक्त नेटवर्क केंद्रीकृत एवं सुव्यवस्थित परिचालन को सुगम बनाएगा तथा विलय की गई संस्था की दूध हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स एवं प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करेगा।
- d. दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने दोनों कंपनियों के पूर्व एवं वर्तमान व्यावसायिक कार्यों एवं परिचालनों की स्थिति का मूल्यांकन किया है तथा उनका मत है कि सुविधाओं के पूर्ण एकीकरण के माध्यम से विलय के जरिए दोनों कंपनियों के व्यवसाय के समेकन से तालमेल (सिनर्जी) एवं लाभ प्राप्त होंगे।
- e. संयुक्त व्यावसायिक परिचालन हेतु उजाला की अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बेहतर दूध शीतलन एवं भंडारण दक्षता प्राप्त हो सकेगी, जिससे संसाधनों की दोहराव कम होगी तथा दोनों कंपनियों के सदस्यों एवं हितधारकों को लाभ होगा।
- f. यद्यपि आशा का परिचालन दायरा व्यापक है, बोर्ड ने निर्धारित किया है कि आशा का उजाला में विलय भविष्य की वृद्धि हेतु एक अधिक उपयुक्त मंच प्रदान करता है, निम्नलिखित कारणों से:
 1. प्रस्तावित विलय दोनों कंपनियों की बाजार उपस्थिति को समेकित करेगा, जो समान क्षेत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करती हैं। वर्तमान में विखंडित परिचालनों को एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत मिलाकर, विलय की गई संस्था कार्यों की दोहराव समाप्त करेगी, विनियामक एवं परिचालन अनुपालनों को सुव्यवस्थित करेगी तथा प्रशासनिक एवं अनुपालन लागतों को कम करेगी। यह समेकन बड़े पैमाने की मितव्ययिता, सुदृढ़ बाजार स्थिति एवं बेहतर समग्र परिचालन दक्षता में भी परिणत होगा।
 2. प्रस्तावित विलय विलय की गई संस्था के सदस्य आधार में महत्वपूर्ण विस्तार करेगा। आशा के व्यापक परिचालन दायरे एवं विशाल सदस्यता नेटवर्क को देखते हुए, इसके सदस्यों का उजाला में एकीकरण एक व्यापक एवं सुदृढ़ सामूहिक मंच सृजित करेगा, जिससे बड़े पैमाने की मितव्ययिता तथा सभी सदस्यों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
 3. आशा ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कई प्रमुख बैंकों तथा विभिन्न सरकारी अनुदान एजेंसियों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। वर्षों में विकसित ये संस्थागत संबंध महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मूल्य दर्शाते हैं तथा विलय के प्रभावी होने पर, ऋण सुविधाओं, सरकारी डेयरी विकास योजनाओं एवं अन्य विकासात्मक वित्तपोषण अवसरों तक उजाला की पहुंच को सुदृढ़ करेंगे।
- g. तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तथा अपने किसी भी ऋणदाता एवं सदस्यों के प्रति दोनों कंपनियों के दायित्वों एवं देयताओं में कोई कमी न होने के दृष्टिगत, दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अधिनियम की धारा 378ZN एवं तत्संबंधी अन्य लागू प्रावधानों तथा तत्संबंधी नियमों के अनुसार आशा का उजाला में विलय करने का निर्णय लिया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना है कि प्रस्तावित विलय प्रस्ताव सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करेगा तथा सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि करेगा।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले विनियामक प्रावधान

- a. आशा एवं उजाला "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी अंशदान से निगमित उत्पादक कंपनियां हैं तथा यह उन्हीं तक सीमित है, अर्थात् उत्पादक कंपनियों में कोई सरकारी अथवा निजी इक्विटी भागीदारी नहीं हो सकती तथा सदस्य की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता, केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को अंतरित किया जा सकता है।
- b. अधिनियम की धारा 378G यह प्रावधान करती है कि उत्पादक कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है तथा सभी पात्र व्यक्तियों हेतु उपलब्ध है, जो उत्पादक कंपनी की सुविधाओं अथवा सेवाओं में भाग लेने अथवा उनका लाभ उठाने के हकदार हैं तथा सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने हेतु इच्छुक हैं तथा इन कंपनियों के सदस्य महिला डेयरी किसान हैं, जिनमें बहुसंख्य लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनकी वहनीयता के साधन सीमित हैं।
- c. उत्पादक कंपनियों को अधिनियम में उत्पादक कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तुत विशिष्ट अध्याय XXIA द्वारा एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका प्रचलित समय में लागू किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों अथवा विधि पर अध्यारोही प्रभाव है (अधिनियम की धारा 378ZQ)।

- d. अधिनियम की धारा 378ZN में दो अथवा अधिक उत्पादक कंपनियों के विलय अथवा समामेलन हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जो इसकी साधारण सभा में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाले प्रस्ताव के पारित होने का प्रावधान करती है। उक्त प्रस्ताव एक अभिहस्तांतरण (कन्वेयंस) के रूप में कार्य करता है, जो परिसंपत्तियों, दायित्वों, करारों, कर्मचारियों आदि को उजाला में निहित करता है।
- e. अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसरण में, इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आशा का नाम हटा देगा।
5. दोनों कंपनियों के बोर्ड ने अपनी संबंधित बोर्ड बैठक में, जो 18-8-2026 एवं 6-8-2026 को आयोजित हुई, आशा के उजाला में विलय के संबंध में प्रस्ताव पारित किया।
6. संलग्न सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज, सूचना प्रेषण की तिथि से बैठक की तिथि तक, सभी कार्यदिवसों (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
7. कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके संबंधियों में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव में वित्तीय अथवा अन्य किसी रूप से चिंतित अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद संख्या 8 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./—
धर्मेन्द्र कुमार
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डीआईएन: 8122632

स्थान: उदयपुर

दिनांक: 18 अगस्त, 2026

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट

आयगत बजट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट
(i)	दूध खरीद की मात्रा	किलोग्राम प्रति दिन	1,70,479
(ii)	दूध परिचालन से आय	₹ लाख में	37,990.30
(iii)	उत्पादक मूल्य	₹ लाख में	33,204.43
(iv)	सहायक मार्जिन	₹ लाख में	769.47
(v)	लॉजिस्टिक्स लागत	₹ लाख में	2,693.49
(vi)	दूध खरीद की अन्य लागत	₹ लाख में	958.47
(vii)	स्थिर लागत	₹ लाख में	592.36
	अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	₹ लाख में	(227.96)
(i)	घी से आय	₹ लाख में	37.14
(ii)	रसगुल्ला / पनीर से आय	₹ लाख में	—
(iii)	अनुदान सहायता (JICA)	₹ लाख में	—
	अनुदान सहायता के पश्चात् दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	₹ लाख में	(190.82)
(i)	पीईएस से आय / (घाटा)	₹ लाख में	(94.22)
(ii)	सीएफएमएम से आय	₹ लाख में	228.68
(iii)	अन्य आय	₹ लाख में	98.40
	कर से पूर्व लाभ / (हानि)	₹ लाख में	42.04
	पूँजीगत बजट		
क्र.सं.	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट
A	दूध परिचालन		
i	कैन	₹ लाख में	70.00
ii	आईसीटी	₹ लाख में	218.55
iii	डीपीएमसीयू	₹ लाख में	112.50
iv	बीमसी स्थापना लागत	₹ लाख म	66.59
	दूध परिचालन हेतु पूँजीगत व्यय	₹ लाख में	467.64
I	पूँजीगत व्यय हेतु अनुदान सहायता – दूध परिचालन	₹ लाख में	—
	स्वयं के निधियों से पूँजीगत व्यय	₹ लाख में	467.64
B	पीईएस परिचालन		
i	कुल पूँजीगत व्यय	₹ लाख में	467.64
ii	कुल पूँजीगत व्यय हेतु अनुदान	₹ लाख में	—
iii	स्वयं के निधियों से पूँजीगत व्यय	₹ लाख में	467.64

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे स्थान : अशोका ग्रीन, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, उदयपुर, राजस्थान – 313001 पर आयोजित 10वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही विवरण।

उपस्थित:

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्रीमती नरसा कुंवर	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2	श्रीमती कन्या	निदेशक एवं अंशधारक
3	कुमारी भावना कुमारी	निदेशक एवं अंशधारक
4	कुमारी रंजना कुंवर राठौड़	निदेशक एवं अंशधारक
5	श्रीमती माफी देवी	निदेशक एवं अंशधारक
6	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	निदेशक एवं अंशधारक
7	श्रीमती संतोष चौधरी	निदेशक एवं अंशधारक
8	श्री बलजिंदर सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
9	श्री नरिंदर सिंह बहगा	विशेषज्ञ निदेशक
10	श्री धर्मेन्द्र कुमार	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
11	श्री जैसराज	कंपनी सचिव

- A. श्रीमती नरसा कुंवर ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
- B. तत्पश्चात, श्री जैसराज, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 6618 अंश वाले 150 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 281685 अंश वाले 14590 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात कोरम पूरा होने की घोषणा की। तत्पश्चात, बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
- C. अध्यक्ष महोदय ने 10वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।
- D. अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है तथा कंपनी से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।
- E. कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से 10वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।
- F. अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।
- G. अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री जैसराज, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. **31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ—हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:—**
 - 1.1 श्रीमती मीना (फोलियो संख्या: 49564) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:—
प्रस्ताव संख्या: 01 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025—2026
“दिनांक 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ—हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्रीमती स्नेहलता कीर (फोलियो संख्या 51047) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

2.1 श्रीमती चंपा देवी (फोलियो संख्या 51311) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 2 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 6/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 680119 समता अंशों पर रु.4080714/- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्रीमती अलका कंवर (फोलियो संख्या 51702) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. सुश्री ललिता जाट (डी.आई.एन.: 11265766), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

3.1 श्रीमती रेखा कुमारी (फोलियो संख्या 28682) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 03 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, सुश्री ललिता जाट (डी.आई.एन.: 11265766), जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती शांति देवी रेबारी (फोलियो संख्या 35175) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती सज्जन कुंवर (डी.आई.एन.: 11265747), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

4.1 श्रीमती अरुणा कंवर (फोलियो संख्या 7153) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 04 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती सज्जन कुंवर (डी.आई.एन.: 11265747), जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती रातकी देवी (फोलियो संख्या 382) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती गुलाबी (डी.आई.एन.: 11265759), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

5.1 श्रीमती भावना कुमारी (फोलियो संख्या 30618) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 05 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती गुलाबी (डी.आई.एन.: 11265759), जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती नोनू देवी (फोलियो संख्या 16283)ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. **श्रीमती शांता पटेल (डी.आई.एन.: 11265734), को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

- 6.1 श्रीमती भूरी (फोलियो संख्या 18259) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 06 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती शांता पटेल (डी.आई.एन.: 11265734), जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती ममता कंवर (फोलियो संख्या 45469) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **श्रीमती नरसा कुंवर (डी.आई.एन. 9691291), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

- 7.1 कंपनी की अध्यक्ष श्रीमती नरसा कुंवर ने उक्त प्रस्ताव में हित निहीत होने के कारण, अपना पद छोड़ा और उपस्थित सदस्यों की अनुमति से कंपनी की निदेशक श्रीमती कन्या ने इस कार्यसूची के लिए अध्यक्षता ग्रहण की।

श्रीमती वालू डांगी (फोलियो संख्या 18564) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 07 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती नरसा कुंवर (डी.आई.एन. 9691291), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती गंगा देवी (फोलियो संख्या 18900) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

श्रीमती कन्या ने सदस्यों को धन्यवाद दिया और अध्यक्षता पद छोड़ दिया, ताकि श्रीमती नरसा कुंवर पुनः अध्यक्षता ग्रहण कर सकें। तत्पश्चात् श्रीमती नरसा कुंवर ने पुनः अध्यक्षता ग्रहण की।

8. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा (डी.आई.एन. 9150409), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

- 8.1 श्रीमती डोली (फोलियो संख्या 24570) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 08 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा (डी.आई.एन. 9150409), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती धनु कंवर (फोलियो संख्या 47097) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

9.1 श्रीमती पारस कंवर (फोलियो संख्या 51286) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 09 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्रीमती नीतू देवी (फोलियो संख्या 49675) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करना। सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

10.1 श्रीमती कमला कंवर (फोलियो संख्या 48408) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 10 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378Q, 378ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 7,00,000 (सात लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 8,00,000 (आठ लाख) समता अंशों में विभाजित रु 8,00,00,000 (केवल रु. आठ करोड़) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 15,00,000 (पंद्रह लाख) समता अंशों में विभाजित रु 15,00,00,000 (अक्षरे पंद्रह करोड़ रुपये) किया जाए।

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्संख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

“VI. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रु. 15,00,00,000 (अक्षरे पंद्रह करोड़ रुपये) है, जो रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रति शेयर के 15,00,000 (पंद्रह लाख) शेयरों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, कम्पनी की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी को पृथक-पृथक रूप से ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलों, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती रेखा बाई (फोलियो संख्या 55367) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) की शेयर पूंजी लेने (Subscription) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

11.1 श्रीमती पूजा देवी (फोलियो संख्या 53794) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या: 11 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025-2026

“कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू होने वाले प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों द्वारा एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) के शेयरों में सामान्य संचय के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) का सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

कम्पनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को पृथक-पृथक रूप से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करने और दस्तोतजों को निष्पादन करने को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्रीमती पेम (फोलियो संख्या 54735)ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों के निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार कर अनुमोदन करना:—

12.1 श्रीमती पुष्पा बाई (फोलियो संख्या 48728)ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:—

प्रस्ताव संख्या: 12 / 10वीं वार्षिक आम सभा: 26.09.2025 / 2025–2026

‘प्रस्ताव पारित किया जाता है कि पूर्व में पारित प्रस्ताव के स्थान पर, कम्पनी अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I एवं धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देशों को पारित कर अनुमोदन किया जाता है जो नीचे दिये गये हैं अर्थात्,

- बोर्ड, ‘कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार’ के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (‘कम्पनी’) का बोर्ड एक “नोमिनेशन कमेटी”, का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन महिनो के अन्दर करेगा।
- बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी A श्रेणी B या श्रेणी C के अन्तर्गत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा की जायेगी। नोमिनेशन कमेटी द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना-पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर और या यदि कोई कम्पनी की वेबसाईट पर, यदि कोई हो, और/या कम्पनी में पंजीकृत ईमेल आईडी पर और/या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/अन्य मोड के माध्यम से दिखाया जायेगा या जिस श्रेणी की रिक्तता पैदा होगी उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।
- बोर्ड अंतर्नियमों के अनुसार, ऐसे योग्य सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना ‘नोमिनेशन कमेटी’ द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- “नोमिनेशन कमेटी” निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए ‘प्रार्थी के योग्यता अंक’ पर विचार करेगी:

प्रार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे: (95% या अधिक दिन – 30 ; 85% से <95% दिन – 20 ; 75% से <85% दिन – 15 ; 65% से <75% – दिन 10 ; 55% से <65% दिन – 5 ; <55% दिन – 0)	30
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (अर्थात् अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य श्रेणी (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाये रखने के लिए प्रति वर्ष के लिए 6 अंक प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता	30
महिला के लिए-10वीं के लिए-5, 12वीं के लिए-10, स्नातक के लिए – 15	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीज/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक); एलडीपी/बोर्ड निदेशको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नोमिनेशन कमेटी' में निम्नलिखित शामिल होंगे—

- (i) सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता उत्पन्न हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक उस आगामी वार्षिक आम सभा से सेवा-निवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक – उत्पादक निदेशक योग्य सिद्ध होता है, तो किसी भी अनुबंध के अंतर्गत और उसके अधीन, ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नोमिनेशन कमेटी सदस्य को चुना जायेगा। इसके अतिरिक्त, अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या ड्रॉ ऑफ लोट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;
- (ii) कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक और
- (iii) किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और
- (vi) कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नोमिनेशन कमेटी' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नोमिनेशन कमेटी की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vii) 'नोमिनेशन कमेटी' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।
- (vi) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों के चुनने के लिए 'नोमिनेशन कमेटी' के द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, बोर्ड के निदेशकों को एतद्वारा ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलों, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती सीता बाई (फोलियो संख्या 47024) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

13. बैठक में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई। अध्यक्ष ने दिन के कार्य को समाप्त किया तथा उपस्थित सभी शेयरधारकों को उनके ध्यान, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन एवं बैठक के लिए दिए गए समय हेतु धन्यवाद दिया। बैठक दोपहर 1:15 बजे समाप्त हुई।

ह. / –

दिनांक: 10.10.2025

अध्यक्षा

स्थान: उदयपुर

दिनांक 10.10.2025 को मिनट्स में प्रविष्टि



आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सविना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

Tel: +91-0294-2481466

email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12.30 बजे जस्टा सत्त्वा रिसॉर्ट, सविना पुलिस स्टेशन के सामने, सविना, सेक्टर-9, हिरण मगरी, उदयपुर-313002 राजस्थान पर होने वाली 11वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

सहमति प्रपत्र (CONSENT FORM)



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,

सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

Tel: +91-0294-2481466

email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

सदस्य का नाम:.....

पंजीकृत पता:.....

फोलियो संख्या:.....

ई-मेल आईडी:.....

मैं, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 अगस्त, 2026 को उपर्युक्त नामित कंपनी की सदस्य, एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZN के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करती हूँ:

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव
1	आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("आशा") का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("उजाला") में विलय

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

स्थान :



आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,
सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

Tel: +91-0294-2481466

email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--

मैं आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर
कम्पनी लिमिटेड के अंशो की सदस्य होते हूँ एतद्वारा

(1) श्रीमती..... फोलियो संख्या

--	--	--	--	--

पता.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्रीमती..... फोलियो संख्या

--	--	--	--	--

पता.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्रीमती..... फोलियो संख्या

--	--	--	--	--

पता.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर:

को कंपनी की मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे जस्टा सत्त्वा रिसॉर्ट, सविना पुलिस स्टेशन के सामने, सविना, सेक्टर - 9, हिरण मगरी, उदयपुर-313002 राजस्थान अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 11वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ:

क्र. सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1.	31 मार्च, 2026 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्ना तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
2.	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
3.	श्रीमती कन्या (डी.आई.एन.: 08480274), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
4.	सुश्री भावना कुमारी (डी.आई.एन.: 10294947), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
5.	सुश्री रंजना कुंवर राठौड़ (डी.आई.एन.: 10294970), निदेशक, की चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
6.	कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति पर विचार करना तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
7.	1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
8.	नामांकन समिति के गठन की आवश्यकता से छूट पर विचार एवं उसका पुष्टिकरण तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
9.	कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव पारित करना।			
10.	आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलीन होने वाली कंपनी") का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय प्राप्त करने वाली कंपनी") में विलय पर विचार एवं अनुमोदन एवं अगर उचित समझा जाए, बदलाव के साथ या बिना बदलाव के विशेष प्रस्ताव पारित करना।			

दिनांक 2026 को हस्ताक्षरित किये गये।

1/-
रेवेन्यू
टिकट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)

(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म वैधता के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या-03, पानेरियों की मादड़ी,

सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

Tel: +91-0294-2481466

email: info@ashamilk.com, www.ashamilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....

.....

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कम्पनी द्वारा भेजी गई 11वीं वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर लिया है।

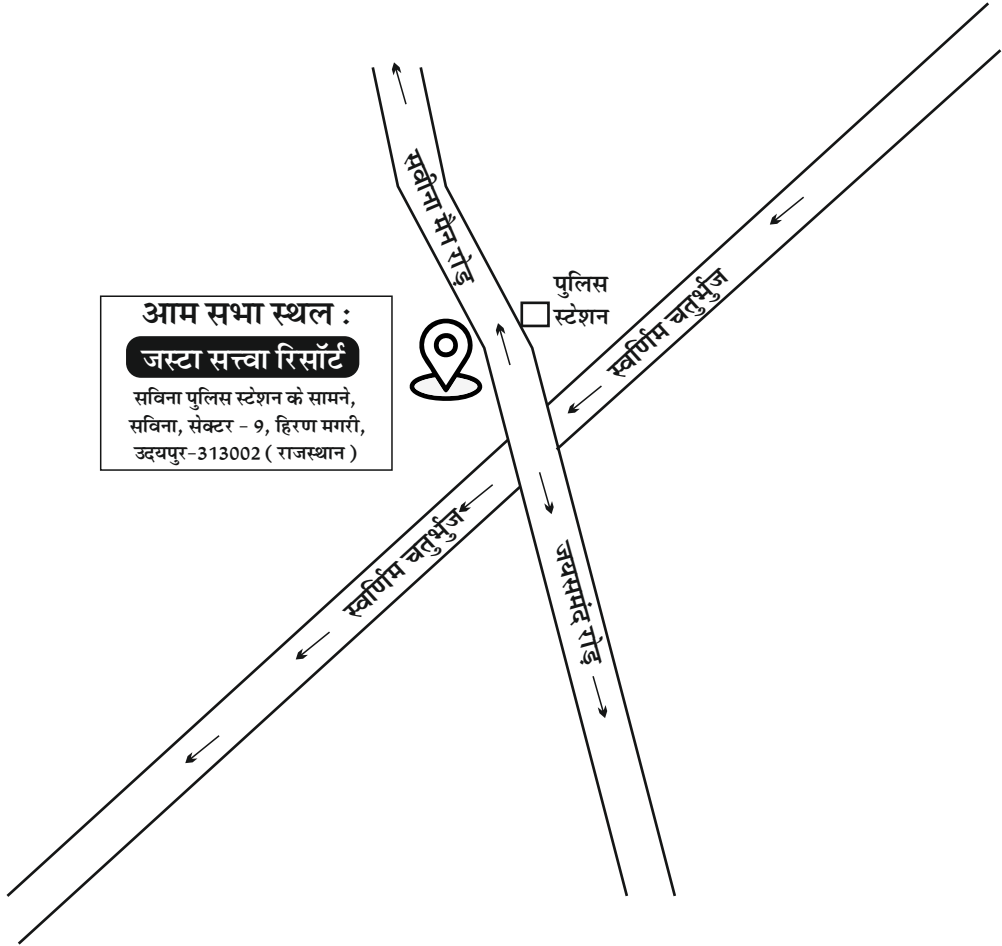
सदस्य के हस्ताक्षर/अगुंठे का निशान

दिनांक :

स्थान :

11वीं वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

स्थान: जस्टा सत्त्वा रिसॉर्ट, सविना पुलिस स्टेशन के सामने, सविना, सेक्टर - 9,
हिरण मगरी, उदयपुर-313002 (राजस्थान)



(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की
अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)